(39)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 377/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. जगदेव सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगरुप सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरजीत कौर पुत्री स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरदास सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. प्रकाश सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. बलराज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. भरपूर सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. शिवराज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री गगन मिढ़ा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः- 22.07.2024

वादी इकबाल सिंह ने प्रतिवादीगण जगदेव सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता जंगीर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/64 जमाबन्दी सम्वत् 2063-66 में 75 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात् चक 12 ए.एम.पी. के विवादित खाता सं. 74/51 में जमाबन्दी सम्वत 2071-74 वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 के स्व. पिता के नाम से 0.075 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। लेकिन उक्त खाता में वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 कब्जाकाश्त नहीं होकर [illegible] 6 एन.के.आर. के खाता सं. 92/73 में 0.253 है. कृषि भूमि पर [illegible] चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.2[illegible] कृषि भूमि कब्जाकाश्त में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को चक 12 ए एम.पी. के खाता सं. 74/59 में 0.506 है. कृषि भूमि कब्जाकाश्त में प्राप्त हुई जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता जंगीर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 12 ए.एम.पी के खाता सं. 74/59 में प्रतिवादी सं. 6 ता 9 को प्राप्त कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता जंगीर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह के नाम से

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दर्ज थी, का माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय, संगरिया के बअनवानी दावा लखविन्द्र सिंह बनाम् बलजीत कौर में जारी विभाजन प्रस्ताव में कब्जाकाश्त अनुसार प्रतिवादी सं. 6 ता 9 को प्राप्त हो गई। यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ने घराघरू बंटवारा कर लिया था। उक्त घराघरू बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया था। जिसका वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादी इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/152	36	25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/152	40	21/1/0.228 है., 21/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 5 ता 9 क्रमशः गुरदास सिंह, प्रकाश सिंह, बलराज सिंह, भरपूर सिंह(2.4288 है. ब.हि.ब.) एवं शिवराज सिंह (0.3542 है.)पुत्रगण श्री गुरबचन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/153	41	6/0.253 है.
142/154	48	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
143/153	42	1,10,11,20,21/0.253 है.प्र.
143/154	47	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.
		कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित [illegible] चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की [illegible] के उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अल[illegible] दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आ[illegible] सप्ताह ऐस[illegible] से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर [illegible] के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 10 का जवाब

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/64 जमाबन्दी सम्वत् 2063-66, चक 12 ए.एम.पी. के विवादित खाता सं. 74/51 में जमाबन्दी सम्वत 2071-74, चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 92/73, चक 5 एन.के.आर. के खाता सं. 81/46 एवं चक 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 74/59 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 5 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता जंगीर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 60/64 जमाबन्दी सम्वत् 2063-66 में 75 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। तहसील ऑनलाईन होने के पश्चात् चक 12 ए.एम.पी. के विवादित खाता सं. 74/51 में जमाबन्दी सम्वत 2071-74 वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 के स्व. पिता के नाम से 0.075 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। लेकिन उक्त खाता में वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 कब्जाकाश्त नही होकर इसी चक 6 एन.के.आर. के खाता सं. 92/73 में 0.253 है. कृषि भूमि पर तथा चक 5 एन.के.आर. के खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि कब्जाकाश्त में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 5 ता 9 को चक 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 74/59 में 0.506 है. कृषि भूमि कब्जाकाश्त में प्राप्त हुई जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता जंगीर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 संयुक्त खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) **वादी इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/152	36	25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
143/152	40	21/1/0.228 है., 21/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 5 ता 9 क्रमशः गुरदास सिंह, प्रकाश सिंह, बलराज सिंह, भरपूर सिंह(2.4288 है. ब.हि.ब.) एवं शिवराज सिंह (0.3542 है.)पुत्रगण श्री गुरबचन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया**

लगातार --4

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

41

जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/153	41	6/0.253 है.
142/154	48	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
143/153	42	1,10,11,20,21/0.253 है.प्र.
143/154	47	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.
		कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में मृतका बलविन्द्र कौर का नाम कलमजन तथा चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा कम किया जावे उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(42)

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 377/2024

इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादी**

बनाम्

1. जगदेव सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगरूप सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरजीत कौर पुत्री स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरदास सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. प्रकाश सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. बलराज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. भरपूर सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. शिवराज सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री गगन मिढ़ा** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) **वादी इकबाल सिंह पुत्र स्व. श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/152	36	25/1/0.215 है., 25/2/0.038 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
143/152	40	21/1/0.228 है., 21/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 5 ता 9 क्रमशः गुरदास सिंह, प्रकाश सिंह, बलराज सिंह, [illegible] (2.4288 है. ब.हि.ब.) एवं शिवराज सिंह (0.3542 है.)पुत्रगण श्री [illegible]चन समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान [illegible] हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि [illegible]**

चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् [illegible]

प.नं.	**मु.नं.**	**कि.नं.**
142/153	41	6/0.253 है.
142/154	48	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20 I
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

45

143/153	42	1,10,11,20,21/0.253 है.प्र.
143/154	47	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.
		कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर चक 6 एन.के.आर. खाता सं. 92/73 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में मृतका बलविन्द्र कौर का नाम कलमजन तथा चक 5 एन.के.आर. खाता सं. 81/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा कम किया जावे उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 9 का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X....... निल ....X....... मुब्लिक ....X.......निल ....X....... बाबत् ....X....... निल.......X....... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 22.07.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested